प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 23 मार्च, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों/जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/पी0सी0ओ0 कार्ययोजना में चिन्हित नाटफिजिबल लोकेशन में बीएसएनएल के माध्यम से कनेक्टीविटी की व्यवस्था कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6224/आधु-1/वी0का0/2015, दिनांक 01 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 08 कारागारों क्रमश: बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, महराजगंज, कासगंज, सोनभद्र, बागपत तथा उप कारागार देवबन्द तथा 03 जनपद न्यायालयों क्रमश: श्रावस्ती, संतकबीरनगर एवं कासगंज में बीएसएनएल की आर0एफ0 रेडियो लिंक एवं लीज्ड लाइन आधारित कनेक्टीविटी उपलब्ध न होने के कारण 11 लोकेशन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/पीसीओ कार्ययोजना को संचालित किये जाने हेतु कनेक्टीविटी की व्यवस्था के लिए कारागार विभाग के हिस्से की 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 12,89,000/- की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-09/2017/179/22-4-17-13जी/11टीसी, दिनांक 27.02.2017 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसे भारत दूरसंचार निगम लि0 को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों/जनपद न्यायालयों (कुल 11 इकाईयों) में आर0एफ0 रेडियो लिंक एवं लीज्ड लाइन आधारित कनेक्टीविटी की व्यवस्था बीएसएनएल के माध्यम से कराये जाने हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 12,89,000/- (रूपया बारह लाख नवासी हजार मात्र) भारत दूरसंचार निगम लि0 को आहरित कर अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन और यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए जिम्मदेार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो और मूल्य बाजार दर से अधिक न हो।

(6) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) अग्रिम धनराशि के समतुल्य कार्यदायी संस्था से बैंक गारण्टी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(10) स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाय।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-95/दस-2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-23/2017/206(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल(इन्टर प्राइजेल बिजनेस इकाई) भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in